दिनाक 26.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 27/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद औरैया/थाना अयाना

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 26.06.2022 को थाना अयाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लालाराम गैंग का मुख्य सदस्य पुरस्कार घोषित अभियुक्त छेदा उर्फ छिद्दा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद औरैया, कानपुर देहात, जालौन व मध्य प्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद औरैया से वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु शासन स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अयाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छेदा उर्फ छिद्दा निवासी भासौंन थाना अयाना जनपद औरैया।

बरामदगी

1—फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चाँदी के 03 सिक्के, नगद रूपये, मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.06.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खालसा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—चन्दन उर्फ गंजा उर्फ चन्दू सहित अभियुक्त 2—दीपक उर्फ नन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चाँदी के 03 सिक्के, नगद रूपये, मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त चन्दन उर्फ गंजा उर्फ चन्दू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन उर्फ गंजा उर्फ चन्दू थाना कोतवाली से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्दन उर्फ गंजा उर्फ चन्दू निवासी जहाँगीरपुरी थाना जहाँगीरपुरी दिल्ली।

2—दीपक उर्फ नन्नू निवासी छोटा बेगमबाग थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, सिक्के, नगद रूपये, मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार 700 रूपये नगद, आधार कार्ड**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **05 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 26.06.2022 को थाना खुदागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवहा नदी के पास चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–सुमित 2–हर्ष उर्फ दीपू 3–अजय 4–मो0नदीम 5–मो0आरिफ को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 20 हजार 700 रूपये नगद, आधार कार्ड, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 05 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.06.2022 को थाना खुदागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुमित निवासी विक्रमपुर चकौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2—हर्ष उर्फ दीपू निवासी महोलिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

3—अजय निवासी कुका महमूदपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4—मो0नदीम निवासी शान्तिपुरम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

5—मो0आरिफ निवासी शान्तिपुरम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—लूट के 20 हजार 700 रूपये नगद, आधार कार्ड।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—05 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

5—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.06.2022 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महुअवा खुर्द स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त चन्द्रमणि को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2021 धारा 376/363/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चन्द्रमणि निवासी अवरहिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर।

जनपद मथुरा/थाना सुरीर

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26.06.2022 को थाना सुरीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना एक्सप्रेस—वे के हरनौल अण्डरपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कान्हा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सुरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/2021 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कान्हा निवासी हलैया थाना मुरसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 20 कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 26.06.2022 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–96 निर्माणाधीन अथारिटी के पास चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तों 1–नजाकत उर्फ केटीएम उर्फ नौशाद 2–आरिफ 3–टिंकल उर्फ राघवेन्द्र 4–अलीम 5–अशरफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 20 कारतूस, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त नजाकत उर्फ केटीएम उर्फ नौशाद के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 38 अभियोग, अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त अलीम के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त अशरफ के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नजाकत उर्फ केटीएम उर्फ नौशाद निवासी बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डन जनपद गाजियाबाद।

2—आरिफ निवासी बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डन जनपद गाजियाबाद।

3—टिंकल उर्फ राघवेन्द्र निवासी रामपार्क थाना ट्रोनिक सिटी जनपद गाजियाबाद।

4—अलीम निवासी आजाद कालोनी बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डन जनपद गाजियाबाद।

5—अशरफ निवासी आजाद कालोनी बहेटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डन जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—02 अवैध पिस्टल, 02 मैगजीन, 20 कारतूस।

2—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित 02 दो पहिया वाहन।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र विक्री का 05 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 26.06.2022 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बरीलालपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 03 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र विक्री के 05 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजीव कुमार निवासी बरीलालपुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—03 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2—अवैध शस्त्र विक्री के 05 हजार रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना कछवां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 डीसीएम बरामद**

दिनांक 25.06.2022 को थाना कछवां क्राइम ब्रान्च व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटका ढाबा के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सतपाल 2—बादशाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 डीसीएम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सतपाल निवासी बहादुरगढ़ थाना बहादुरगढ़ जनपद झज्जर हरियाणा।

2—बादशाह निवासी हिसार थाना नौ ग्यारह सेक्टर हरियाणा।

बरामदगी

1—लगभग 16 लाख रूपये कीमत के 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 डीसीएम।

एस0टी0एफ0–विलुप्त हो रहे दुर्लभ प्रजाति के ग्रे–लंगूरों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार, 20 ग्रे–लंगूर बरामद।

दिनांकः 25–06–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विलुप्त हो रहे दुर्लभ प्रजाति के ग्रे–लंगूरों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 20 ग्रे–लंगूर के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– सद्दाम पुत्र शकील बेग उर्फ लल्लू निवासी त्रिलोकपुर, थाना–फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर।

2– नदीम खॉन पुत्र लल्लू निवासी अस्ती, थाना–फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर।

बरामदगीः–

1. 20 अदद जीवित ग्रे–लंगूर।
2. 01 अदद आधार कार्ड
3. 01 अदद पैन कार्ड।
4. 01 अदद मोबाइल फोन।
5. 01 अदद एटीएम।
6. रू0 1270/–
7. 01 अदद लोहे का पिजड़ा।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

रामप्यारे वर्मा का पुराना मकान, ग्राम पाटन, थाना बिहार, उन्नाव दिनांक 25–06–2022 समय 15.20 बजे।

वन्य जीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो(WCCB), भारत सरकार की पहल पर एस0टी0एफ0 ने पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों के कछुए, बर्ड्स, पैन्गोलिन आदि की तस्करी रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की है। इस क्रम में लंगूरों की एक प्रजाति जिसे ग्रे–लंगूर अथवा हनुमान लंगूर कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पायी जाती है, कि विभिन्न तरीको से पैसा कमाने हेतु इनकी तस्करी के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि जनपद उन्नाव एवं आस–पास के जनपदों में पाये जाने वाले ग्रे–लंगूरों की तस्करी करने वाले गिरोह के लोगों द्वारा इन्हे पकड़कर बड़े पैमाने पर तस्करी किया जा रहा है।

निरीक्षक श्री दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विनोद सिंह, मु0आ0 अशोक गुप्ता राजेश मौर्या, संतोष सिंह, रूद्र नारायण उपाध्याय, अंजनी यादव, आरक्षी विजय वर्मा की एक टीम अत्यंत परिश्रम से जमीनी सूचना एवं अन्य स्रोतों से अभिसूचना एकत्र की। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद उन्नाव से कुछ तस्करों द्वारा ग्रे–लंगूरों/हनुमान लंगूरों की तस्करी की जा रही हैं। एसटीएफ टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्रीय वन विभाग लखनऊ की टीम को साथ लेकर इस सूचना को विकसित करते हुए दिनांक 25–06–2022 को समय लगभग 15.20 बजे ग्रे–लंगूर अथवा हनुमान लंगूरों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को रामप्यारे वर्मा का पुराना मकान, ग्राम पाटन, थाना बिहार, उन्नाव से आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग संरक्षित पशु–पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास से पकड़कर स्वयं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक लाभ के लिए इनकी तस्करी कर रहे हैं। लगभग 8–10 हजार रूपये प्रति ग्रे–लंगूरों/हनुमान लंगूरों के हिसाब से बेचते है। जिनका प्रयोग बड़े–बड़े शहरों में बन्दरों को भगाने के लिए, धार्मिक भावनाओं के आधार पर भीख मॉगने, खेल दिखाकर पैसा कमाने व शौक के तौर पर पालने हेतु किया जाता है। एक माह में लगभग 30 से 40 लंगूरों को बेच देते है। हम लोग वन्य जीवों की तस्करी लगभग पिछले 10 वर्षो से कर रहे है। सद्दाम ने यह भी बताया कि इसके पूर्व में भी ग्रे–लंगूरो की तस्करी में कोतवाली फतेहपुर, जनपद फतेहपुर व कोतवाली–कन्नौज से जेल जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बन्ध में अपराधिक इतिहास की छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बिहार, जनपद उन्नाव में मु0अ0सं0 192/2022 धारा 2,9, 39, 49, 50, 51ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

—————————